पत्रावली पेश हुई। बहसलाल उपस्थित
तहसीलदार — वादकरण सरदार वकील अभियोजी
पक्ष द्वारा प्रस्तुत के मूल पत्रावली है तहसील
पेश की। पत्रावली वापस तहसील दिनांक
11-7-2022 को पेश हो। मुकदमा में मूल
पत्रावली आवश्यक है अतः तहसीलदार द्वितीय
को रिमांड है तु पत्र जारी हो। पत्रावली वापस
पालना रिमांड दि. 11-7-2022 को पेश हो।

7/22 पत्रावली पेश हुई। बहसलाल उपस्थित नहीं।
प्रकरण में प्रार्थी व प्रार्थी वकील उप० नहीं।
प्रकरण में बार-बार प्रार्थी व प्रार्थी वकील
को आवाज दिलवायी गयी गयी। आवाज
दिलवाने के बावजूद प्रार्थी व प्रार्थी वकील
उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि
प्रार्थी व प्रार्थी वकील प्रकरण आगे चलाने में इच्छुक
नहीं है रुचि है। अतः मु० न० 4/17 इन्डियन
भारतीय कानून उपराज्य अधिनियम अदालत
अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम
हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (कोटपूतली)